

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 22503/19

दिनांक 22/11/19

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

कालका इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च एण्ड एडवान्सड स्टडीज,

परतापुर बाई पास रोड,

मेरठ-250103

विषय—कालका इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च एण्ड एडवान्सड स्टडीज, परतापुर बाई पास रोड, मेरठ में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की सीटों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 किये जाने की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-18-31/11876-INC-5590 Dated 24-12-2018 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 30 सीट से बढ़ाकर 40 प्रशिक्षुओं को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 31 दिसम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 02 वर्ष होगी। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय-समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।

5. प्रवेश हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
8. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण की दो परीक्षाएँ होंगी प्रथम परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा द्वितीय वर्ष परीक्षा प्रशिक्षण अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी।
9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 3,000/- प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 3,000/- प्रतिमाह, पूरे प्रशिक्षण अवधि (दो वर्ष) तक लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
10. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।
11. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्राओं का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
12. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।
13. प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 60,000/- (रू.1,500/- प्रति छात्रा की दर से) 40 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,


सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।